क्रम संख्या–60

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2009

फाल्गुन 6, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 379/79-वि-1–09-1(क)31-2008

लखनऊ, 25 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 24 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20 सन् 1973 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "तथा काशी विद्यापीठ" निकाल दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 37 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) यह धारा डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय से भिन्न) पर लागू होगी जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।"

नई धारा 72—ञ और 72—ट का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 72—ज के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"72—ञ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा जिला चन्दौली, मिर्जापुर संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 की स्नातक भाग—1 या स्नातकोत्तर भाग—1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008—2009 और 2009—2010 के दौरान उपर्युक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग—2 तथा स्नातक भाग—3 की परीक्षा अथवा स्नातकोत्तर भाग—2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

72—ट लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की स्नातक भाग—1 या स्नातकोत्तर भाग—1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008—2009 और 2009—2010 के दौरान जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति स्नातक भाग—2 तथा स्नातक भाग—3 या स्नातकोत्तर भाग—दो की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

अनुसूची का संशोधन

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:

अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ, जिला।
	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।
	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	इलाहाबाद, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।
	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले।
	डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वावद्यालय, आगरा।	आगरा, अलीगढ़ एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कांशीरामनगर, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।
	डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले।
	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली।	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबा फुलेनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा महोबा जिले।
	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा मऊ जिले।
	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र तथा वाराणसी जिले।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को चन्दौली, मिरजापुर, सन्तरविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ के राजस्व जिलों की अधिकारिता का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा। उक्त जिलों में कतिपय उपाधि महाविद्यालय अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं जिसके कारण सामान्य जन को उक्त विश्वविद्यालय तक पहुंचने में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से चन्दौली, मिरजापुर, सन्त रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के निकटतम स्थित है, राजस्व जिलों का क्षेत्राधिकार, उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से निकाल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को दीक्षान्त हाल से 16 किलोमीटर के स्थान पर लखनऊ जिला की सीमा तक बढ़ा दिया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 379(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka) 31-2008

Dated Lucknow, February 25, 2009

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2009.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

ACT, 2008

(U.P. ACT No. 6 of 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 5 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 5 of the Uttar Pradeh State Universities Act 1973 hereinafter referred to as the principal Act.-

(a) in sub-section (1) the words "and the Kashi Vidyapith" shall be *omitted*;

(b) sub-section (3) shall be *omitted.*

Amendment of section 37

3. In section 37 of the principal, Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(1) This section shall apply to the Universities of Doctor Bhimrao Ambedkar University Agra, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur, Chatrapati Shahu Ji Maharaj University Kanpur, Chaudhary Charan Singh University Merut, Mahatma Jyotibha Phule Rohilkhand University Bareilly, Vir Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur, University of Bundelkhand Jhansi, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi, Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University Faizabad, and such other Universities (not being the University of Lucknow) as the State Government may by notification in the *Gazette*, specify."

Insertion of new section 72-I and 72-J

4. *After* section 72-H of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:–

Special provisions with respect to certain students of Vir Bahadur Singh Puranchal University Jaunpur

"72-I, Every person residing within the area of the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi, who was permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur to appear in Graduate Part-I or Post Graduate Part-I Examination of 2008 from the Examination centre of District Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post-Graduate Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centers of the above districts during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid;

Special provisions with respect to certain students of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur

72-J, Every person residing within the area of the Lucknow University Lucknow, who was permitted by the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur to appear in Graduate Part-1 or Post Graduate Part-1 Examination of 2008 from the Examination centre of District Lucknow, and who, on the result of the exmination, has been declared successful, shall be permitted by the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post Graduate Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centers of district Lucknow during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid."

Amendment of the Schedule

5. *For* the Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely:–

THE SCHEDULE

(*See Section* 5)

Serial no.	Name of the University	Areas within which the University shall exercise jurisdiction
1	2	3
1	The University of Lucknow	Lucknow District

1	2	3
2	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Meerut, Muzaffar Nagar and Saharanpur.
3	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Districts of Allahabad, Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Kaushambhi, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao.
4	Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur	Districts of Basti, Deoria, Gorakhpur, Kushi Nagar, Maharajganj, Sant Kabir Nagar and Siddharth nagar.
5	Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra	Districts of Agra, Aligarh, Etah, Firozabad, Hathras, Kansiram Nagar, Mainpuri and Mathura.
6	Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad	Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh, Shrawasti and Sultanpur.
7	Mahatma Jyotiba Phule Rohil Khand University, Bareilly	Districts of Budaun, Bareilly, Bijnor, Jyotiba Phule Nagar, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.
8	The University of Bundelkhand, Jhansi	Districts of Banda, Chitrakut, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mahoba.
9	Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur	Districts of Azamgarh, Ghazipur, jaunpur and Mau.
10	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi	Districts of Candauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

In accordance with the existing provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 the Vir Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur shall have authority to exercise the jurisdiction of the areas of the revenue districts of Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi, Ballia, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Mau. In the said districts certain degree colleges are situated at a very long distance due to which the general public has to face difficulties to reach the said University With a view to removing the said difficultics it has been decided to amend the said Act to authorise the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi to exercise jurisdiction of the areas of revenue districts of Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia which are situated nearest to the mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi by excluding them from the areas of the jurisdiction of the said University. It has also been decided to enhance the jurisdiction of the University of Lucknow upto the limit of Lucknow districts instead of 16 Kilometre from its convocation hall.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1009 राजपत्र (हि०)–2009–(2190)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 179 सा० विधा०–2009–(2191)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।